

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उन्यासी'

प्रश्न सं. [क. 2746]

25/7/2016
क-2746
प्रि-अ

सुमांक एच/ए 44-12/20-2/2006

प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/8/06

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
मोपुओ भोपाल।

विषय:-

प्रदेश में नये स्कूल खोलने उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बाबत।

3206
20-8

-0-

प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने/उन्नयन दिये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड संलग्न है।

संलग्न:- परिशिष्ट एक एवं दो

अवर सचिव

मोपुओ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 25/8/06

पृ 050एफ 44-12/20-2/2006

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, मोपुओ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
- 2- सचिव, मोपुओ शासन, विद्युत विभाग भोपाल
- 3- सचिव, मोपुओ शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल
- 4- सनस्त संभागीय आयुक्त, मोपुओ
- 5- सनस्त ब्लेक्टर, मोपुओ
- 6- सनस्त संपुस्त संवालक, लोक शिक्षण, मोपुओ
- 7- सनस्त जिला शिक्षा अधिकारी मोपुओ

अवर सचिव

मोपुओ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Under Secretary,
Govt. of Madhya Pradesh,
School Education Deptt.
Mairatraya, Bhopal

5. 2746
4A-I

नीचे क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) हाईस्कूल

अनिवार्यता

1. वसाहत से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 80 से कम न होना ।
3. कक्षा 9वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 2000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रुपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विद्यार्थक निधि / सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)


(ख) हायर सेकेंडरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. वसाहत से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेंडरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
3. कक्षा 11वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 3000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रुपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विद्यार्थक निधि / सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)


Under Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
School Education Dept
Mantralaya, Bhopal

शासनाय व उत्तर प्रदेश शासनाय साक्षात्कारार्थे हेतु
 उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय

क्र.सं.	विवरण	एकक	प्रति	एकक	एकक
1	जनसंख्या	एक विद्यालय	एक विद्यालय	एक विद्यालय	एक विद्यालय
2	इसी प्रकार की निर्माण शाळा नोंदिल्ल्या संख्या	5000	8000	एक विद्यालय	एक विद्यालय
3	एक शाळा/कनिष्ठ शाळा नोंदिल्ल्या संख्या	5 कि.मी.	5 कि.मी.	100	100
4	शाळा/कनिष्ठ शाळा नोंदिल्ल्या संख्या	100	100	100	100
5	जनसंख्या	2 एकक शासनाय	2 एकक शासनाय	2 एकक शासनाय	2 एकक शासनाय

अप्ये सर्वे समान ह्येते पर उत्तरप्रदेशांत उत्तर प्रदेश शासनाय प्राथमिक शाळा नोंदिल्ल्या संख्या ही

1. यदि अत्र ही शाळा/कनिष्ठ शाळा नोंदिल्ल्या संख्या 100 कि.मी. पेक्षा जास्त असेल तर एक शाळा नोंदिल्ल्या संख्या म्हणून गणित करित जाईल.

2. कितीय शाळा/कनिष्ठ शाळा नोंदिल्ल्या संख्या 100 कि.मी. पेक्षा जास्त असेल तर एक शाळा नोंदिल्ल्या संख्या म्हणून गणित करित जाईल.

3. शाळा/कनिष्ठ शाळा नोंदिल्ल्या संख्या 100 कि.मी. पेक्षा जास्त असेल तर एक शाळा नोंदिल्ल्या संख्या म्हणून गणित करित जाईल.

उत्तर प्रदेश शासनाय
 शासनाय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश शासनाय
 शासनाय, उत्तर प्रदेश

Under Secretary
 Govt. of Madhya Pradesh
 School Education